

4

Kansh

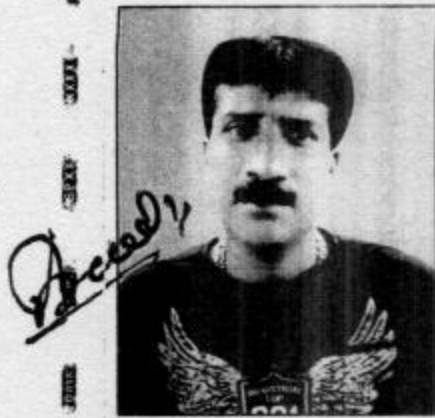
4377/10



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 478317

Kansh



(1)

विक्रित सम्पत्ति मूल्यांकन सूची के भाग-2(क-1) (IV) के पृष्ठ सं. 17 के क्रम संख्या 258 में लिखित कम्प्यूटर कोड 1039 वाकै मौजा हंसारीगिर्द ब्लाक बबीना तहसील व जिला झाँसी के अनुसार झाँसी-ललितपुर रोड़ के किनारे के नम्बरान की दर 75,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर। उक्त आराजी झाँसी-ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से लगी होने के कारण सम्पत्ति के मूल्यांकन में 10% की वृद्धि की गयी है।

स्टाम्प का कुल योग

- 88,000/-

दस्तावेज का प्रकार

- बैनामा

1215 - 0.1322

Kansh

Kansh

उप कोषगार, झाँसी
1132

नाम जयबाबा प्रोपर्टीज प्रा. लि. 30 मई 2010
पता इन्दौर नगर 8 रस बहार कालौनी झाँसी

दिनांक 12-7-10 उप निबन्धक, झाँसी



विक्रय पत्र

400,000.00/ 1,254,000.00

10,000.00

20 10,020.00

700

प्रतिफल

मालियत

फीस रजिस्ट्री

नकल व प्रति शुल्क

योग

शब्द लगभग

श्री

मनीष राय वहैसियत डायरेक्टर जयबाबा प्रोपर्टीज

पुत्र श्री

रमेश चन्द्र राय

व्यवसाय व्यापार

निवासी स्थायी क्यू 8 रस बहार कालौनी झाँसी

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 13/7/2010 समय 12:42PM

वजे निबन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजनाथ राम

उप निबन्धक द्वितीय

झाँसी

13/7/2010

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

क्रेता

श्री आनन्द कुमार यादव

पुत्र श्री बलभद्र सिंह यादव

पेशा व्यापार

निवासी आर टी ओ आफिस के पीछे शिवाजी नगर

झाँसी

श्री मनीष राय वहैसियत डायरेक्टर जयबाबा प्रोपर्टीज

पुत्र श्री रमेश चन्द्र राय

पेशा व्यापार

निवासी क्यू 8 रस बहार कालौनी झाँसी



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री नवदीप श्रीवास्तव

पुत्र श्री एम नारायण

पेशा व्यापार

निवासी 1300/5 खातीबाबा झाँसी

व श्री कैलाश राय

पुत्र श्री प्यारेलाल राय

पेशा व्यापार

निवासी शिवाजी नगर झाँसी

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजनाथ राम

उप निबन्धक द्वितीय

झाँसी

13/7/2010



(3)

प्रथम पक्ष की संख्या - एक

द्वितीय पक्ष की संख्या - एक

नाम व पता विक्रेता प्रथम पक्ष-

श्री आनन्द कुमार यादव पुत्र श्री बलभद्र सिंह यादव निवासी- आर.टी.ओ. ऑफिस के पीछे, शिवाजी नगर, झाँसी (पेन नं. ADCPY5231G)

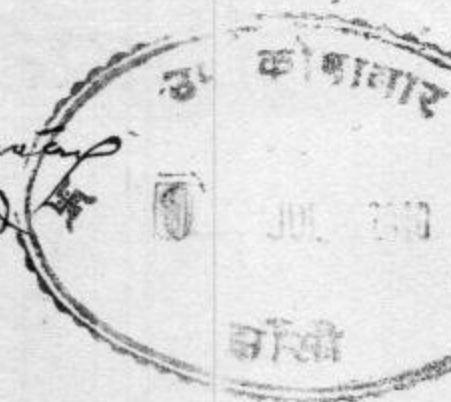
नाम व पता क्रेता द्वितीय पक्ष-

जय बाबा प्रोपर्टीस एण्ड डेबलपर्स प्रा० लि० ऑफिस-क्यू-8, रस बहार कॉलौनी, झाँसी द्वारा डायरेक्टर मनीष राय पुत्र श्री रमेश चन्द्र राय निवासी-क्यू-8, रस बहार कॉलौनी, झाँसी (AACCJ2215M)

[Signature]

[Signature]

12-26 7



Book No. :





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 227052

(4)

सम्पत्ति का विवरण — आराजी भूमिधरी वाकै मौजा हंसारीगिर्द ब्लाक बबीना परगना व जिला झाँसी जिसके आराजी नम्बरान व रकवा जैल में दर्ज है। विक्रित आराजी राष्ट्रीय राजमार्ग झाँसी-ललितपुर से लगी हुई एवं आबादी से 100 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। दस्तावेज हाजा के साथ आराजी मुवैया का नक्शा संलग्न है जिसमें विक्रित आराजी नम्बरान वरंग लाल से दर्शाये गये है। जो बैनामा का अंश भाग है विक्रित आराजी में कोई पेड़ कुँआ आदि नहीं है न ही औद्योगिक प्रयोजन की भूमि है विक्रित आराजी कृषि योग्य भूमि है। आराजी मुवैया नजूल नगर पालिका, ग्राम सभा या अन्य किसी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है। विक्रित आराजी विक्रेता ने संयुक्त रूप से जरिये बैनामा दिनांक 22-06-2001 ई0 श्री रामेश्वर प्रसाद पुत्र श्री ग्यासी लाल निवासी-दरयापुरा तहसील व जिला दतिया (म0प्र0) से खरीद की थी। जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार झाँसी में फोटोस्टेट प्रति पुस्तक संख्या I खण्ड 533 के पृष्ठ सं. 219/230 पर क्रम संख्या 2431 दिनांक 22-06-2001 ई0 दर्ज है। जिसमें विक्रेता का 1/2 हिस्सा था जिसे विक्रेता आज 1/2 हिस्सा पूर्ण वय कर रहा है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3900 12/11/10 5000

क्रमांक..... दिनांक..... मूल्य.....

नाम जय बाबा प्रोपर्टी डायरेक्टर जयबाबा प्रोपर्टी डायरेक्टर-81 मनीष राय

निवास 26 बहाल कालौनी झोंसी

राजेन्द्र कुमार ला0 नं0-170
बहसील-झाँसी



क्रेता

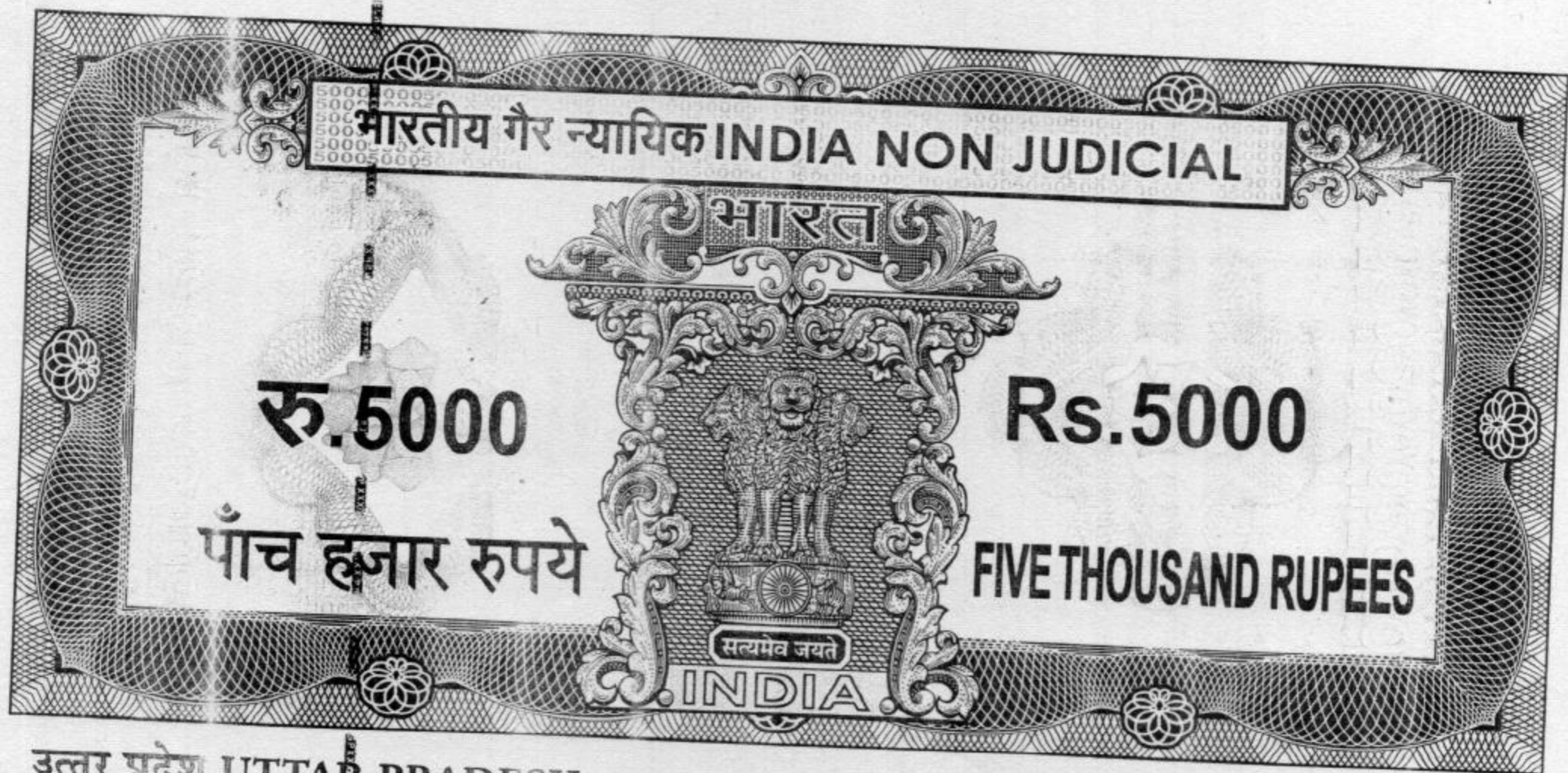
Registration No. : 4377

Year : 2010

Book No. 4

0201 मनीष राय वहेसियत डायरेक्टर जयबाबा प्रोपर्टीस
रमेश चन्द्र राय
क्यू 8 रस बहार कालौनी झोंसी
व्यापार





(5)

खाता सं०	आराजी नम्बर	रकवा	किस्म जमीन	सिंचित/असिंचित
00132	1215 मि०	0.793 हे०	राकर सोयम	सिंचित
	1220	0.121 हे०	राकर सोयम	सिंचित

कुल 2 किता रकवा 0.914 हे० का 1/3 हिस्सा यानि रकवा 0.304 हेक्टेयर का 1/2 हिस्सा रकवा 0.152 हेक्टेयर यानि अपना सम्पूर्ण हिस्सा वय किया गया है। विक्रित आराजी में विक्रेता का कोई भी अंश शेष नहीं बचा है। जिसका नया लगान

5 रुपया 20 पैसा सालाना है।

[Signature]

[Signature]

भारत के न्यायपालिका में न्यायिक

₹ 5000

₹ 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

पाँच हजार रुपये

भारत के न्यायपालिका में न्यायिक

भारत के न्यायपालिका में न्यायिक

भारत के न्यायपालिका में न्यायिक

भारत के न्यायपालिका में न्यायिक

भारत के न्यायपालिका में न्यायिक

भारत के न्यायपालिका में न्यायिक

भारत के न्यायपालिका में न्यायिक

भारत के न्यायपालिका में न्यायिक

भारत के न्यायपालिका में न्यायिक

Handwritten signature

Handwritten signature



उत्तर प्रदेश UTAR PRADESH

M 081051

(6)

विक्रय मूल्य— 4,00,000/— चार लाख रुपया जो नगद पूर्व प्राप्त कर लिया है।

गजारू मूल्य - 12,54,000/— बारह लाख चऊवन हजार रुपया से अधिक नहीं है। जिसमें भूमि की कीमत 11,40,000/— रुपया है व 10 प्रतिशत अतिरिक्त मालियत 1,14,000/— रुपया है इस प्रकार कुल मालियत 12,54,000/— पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

विक्रेता अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य नहीं है।

मैं कि विक्रेता उपरोक्त आराजी उपरोक्त का सम्पूर्ण रूप से मालिक काबिज व दखील जो कहीं वय हिवा रहिन आदि नहीं है यानि हर प्रकार के जुम्लावार किफालत से पाक साफ व वरी है न ही आराजी के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन है न ही आराजी किसी जमानत, डिग्री, ऋण आदि में मगफूल है। चूँकि मुझ विक्रेता को घरु कार्य हेतु रुपयों की जरूरत है अतः मैं विक्रेता अपनी उपरोक्त आराजी

[Signature]

[Signature]



उत्तर प्रदेश UTAR PRADESH

M 081126

(7)

वकीलत उपरोक्त में वहक क्रेता उपरोक्त वय व फरोख्त करता हूँ, कब्जा दखल मालिकाना आज ही की तारीख से क्रेता उपरोक्त को वखूवी मौके पर करा दिया है अधिकार आप क्रेता आराजी मुवैया में स्वयं काशत करें, या किसी अन्य व्यक्ति से काशत करावें, कागजात मालिकान से मेरा नाम खारिज कराके अपना नाम दर्ज कागजात करावें वय हिवा रहिन करें गर्ज यह है कि जो जी चाहे सो करें। आज की तारीख से आराजी मुवैया से मेरा व मेरे वारिसान का कोई वास्ता व सरोकार नही रहा न आयन्दा होगा। काश किसी कानूनी नुक्स की वजह से आराजी मुवैया कब्जे क्रेता से निकल जावे तो कुल कीमत मय हर्जा व खर्चा का देनदार व जिम्मेदार मैं विक्रेता रहूँगा। विक्रेता एवं क्रेता का कथन है कि प्रस्तुत विलेख में मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले किसी भी तथ्य को नहीं छुपाया गया है सभी तथ्य सही-सही एवं पूर्ण वर्णित किये गये हैं। यदि विक्रेता या क्रेता द्वारा तहरीरशुदा दस्तावेज में किन्ही तथ्यों को छुपाया जाता है या कोई कूट रचना करायी जाती है तो उक्त कृत्य का सम्पूर्ण दायित्व मुकद्मां आदि जैसे फौजदारी, दीवानी, माल, राजस्व, स्टाम्प एक्ट के वादों का दायित्व विक्रेता व क्रेता का ही होगा, सब रजिस्ट्रार, वकील (एडवोकेट), दस्तावेज लेखक, या जरिये वकील चित्र प्रमाणित के गवाह का नहीं होगा, कूट रचित दस्तावेज का सम्पूर्ण दायित्व विक्रेता व क्रेता का ही होगा। लिहाजा स्वेच्छा से विक्रेता एवं क्रेता द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर तथा बिना किसी जबर या दबाव के यह बैनामा तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम आवें।

[Signature]

[Signature]





उत्तर प्रदेश UTAR PRADESH

M 081127

(8)

दिनांक : 12-07-2010

प्राप्तकर्ता : पं० हरीश कुमार तिवारी, एडवोकेट, तहसील, झाँसी

[Handwritten signature]



परितुलित प्रमाण के विना प्रमाणित नहीं है।
 श्री/श्रीमती/श्रीमान/श्रीमती/श्रीमान/श्रीमती
 1300/5 खाती बुलडा झाँसी
 निवासी खाती बुलडा चेला चण्डी
 प्रमाणित है।
[Handwritten signature]

गवाह (1) Navdeep Singhania s/o Late Sh. M. Narain
 1300/5 'Khali' Bulda Jhansi

गवाह (2) कैलाश राय श. चोटे वाला राफ
 शिवाजी नगर झाँसी

[Handwritten signature]



प्रमाणित किया जाता है कि

एक हजार रुपये

₹ 1000

एक हजार रुपये

₹ 1000

प्रमाणित किया जाता है कि

प्रमाणित किया जाता है कि

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32 ए ए के अनुपाल हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम.....

पता.....

बाँये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाँये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



प्रस्तुतकर्ता विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

[Signature]

प्रस्तुतकर्ता/क्रेता का नाम.....

पता.....

बाँये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाँये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



उक्त प्रपत्र निष्पादित-प्रलेख का अनिवार्य अंग माना/समझा जायेगा

निष्पादक

प्रस्तुतकर्ता विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

निष्पादक

[Signature]

पृष्ठ २२ कागज कि ८०२१ सामाजिक जायदगरी सामाजिक जायदगरी कि सामाजिक कि

सामाजिक जायदगरी कि सामाजिक जायदगरी

सामाजिक जायदगरी कि सामाजिक जायदगरी



सामाजिक जायदगरी कि सामाजिक जायदगरी



सामाजिक जायदगरी कि सामाजिक जायदगरी

सामाजिक जायदगरी कि सामाजिक जायदगरी

सामाजिक जायदगरी कि सामाजिक जायदगरी



सामाजिक जायदगरी कि सामाजिक जायदगरी

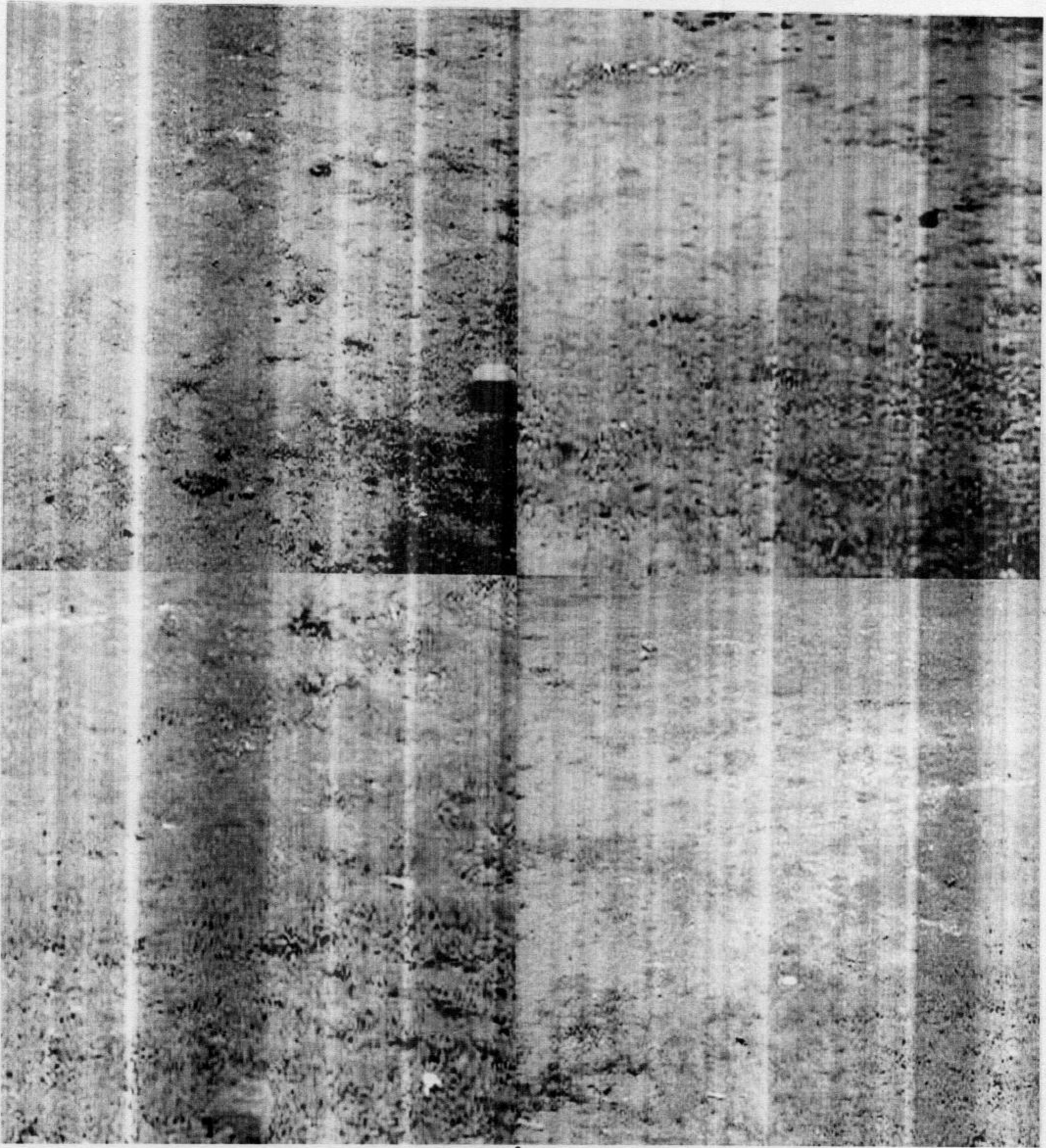


सामाजिक जायदगरी कि सामाजिक जायदगरी

सामाजिक जायदगरी कि सामाजिक जायदगरी

सामाजिक

सामाजिक



क्रमांक नः.....
रजि० वास्ते

एक किता

स्थित

नाम विक्रंता

नाम केता

चौहादी

पूर्व

पश्चिम

जयदास शर्मा

Handwritten signatures and marks.

नक्शा - नजरी

बिक्रेता का नाम.. श्री. आनन्द कुमार.

200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित

क्रेता का नाम जमनाबा प्रोपर्टीज २००५

सम्पत्ति के विवरण का मानचित्र

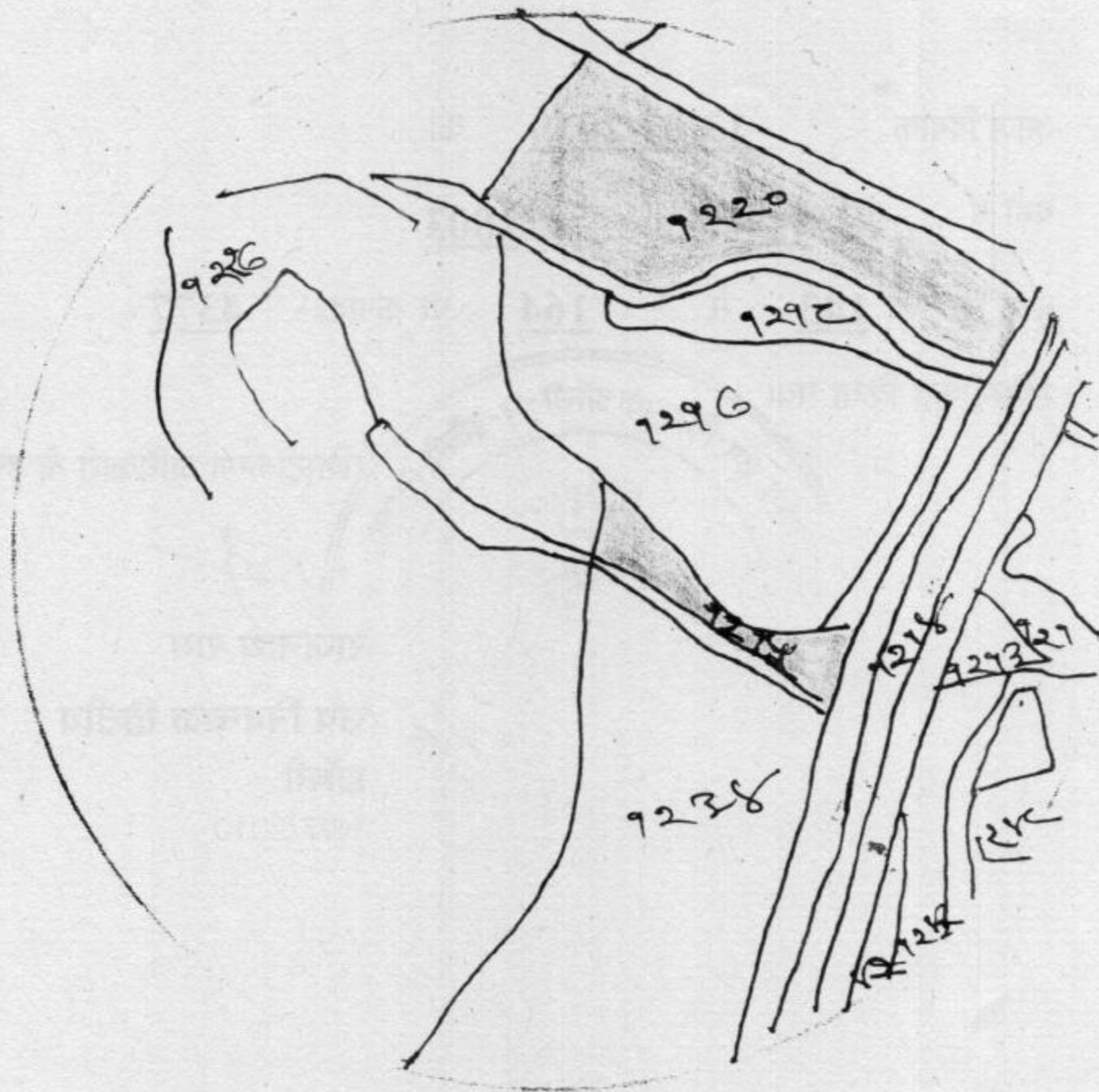
मौजा... ६२००००००

200 मीटर त्रिज्या की परिधि (लाल रंग)

तहसील, परगना व जिला झाँसी

से प्रदर्शित है।

भूमि नम्बर १२१५, १२२०,



[Signature]
[Signature]

MOHD. KAMRAN KHAN
D/MAN (CIVIL)
J. D. A., JHANSI
OFF. - 19, ALIGOLE,
JHANSI

हस्ताक्षर बिक्रेता

हस्ताक्षर

आज दिनांक 13/07/2010 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 2803

पृष्ठ सं. 143 से 164 पर क्रमांक 4377

रजिस्ट्रीकृत किया गया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजनाथ राम

उप निबन्धक द्वितीय
जॉसी

13/7/2010

जयपुर वही सं. 1 जिल्द सं. 2803 पृष्ठ सं. 143 से 164 पर क्रमांक 4377

प्राप्त — 989/0910

पंजीकृत — 21-810

पंजीकृत

18/10/10